न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 61/2019

1 मक्खनलाल पुत्र छोटूराम जाति माली निवासी ढाणी टीकरवाली तन ग्राम किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 निवासी पुत्र चुनाराम
2 श्रवण कुमार पुत्र चुनाराम
3 धोलूराम पुत्र चुनाराम
4 सुरजी देवी पत्नी चुनाराम
5 प्रभुदयाल पुत्र छोटूराम
6 बंशीलाल पुत्र छोटूराम
7 फूली देवी पत्नी छोटूराम
8 बनवारीलाल पुत्र गुल्लाराम
9 रामेश्वरलाल पुत्र गुल्लाराम
10 हर्षाराम पुत्र गुल्लाराम
समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी टीकरवाली तन ग्राम किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
11 प्रबन्धक कॉरपोरेशन बैंक शाखा टोडी तहसील उदयपुरवाटी।
12 सब रजिस्ट्रार गुढ़ागौड़जी उप तहसील गुढ़ागौड़जी।
13 लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.07.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बमुकदमा नम्बर 128/2019 उनवानी मक्खनलाल बनाम निवास वगै. प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री फुलचन्द सैनी, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः—17.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 128/2019 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 414, 418, 949/413 वाके ग्राम किशोरपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम किशोरपुरा की सरहद में आवेदक और अनावेदकगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 414, 418, 949/413 जिसका रकबा कमशः 0.0400, 0.7700 व 1.1700 हैक्टेयर किस्म कमशः गैर मुमकिन आबादी, चाही प्रथम व चाही प्रथम बारानी प्रथम है। कुल किता 3 जिसको प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

में आवेदक का 1/20 हिस्सा है तथा अनावेदक संख्या 1 का 1/20 हिस्सा अनावेदक संख्या 2 का 1/20 हिस्सा, अनावेदक संख्या 3 का 1/20 हिस्सा, अनावेदक संख्या 4 का 1/20 हिस्सा, अनावेदक संख्या 5 का 1/20 हिस्सा, अनावेदक संख्या 6 का 1/20 हिस्सा, अनावेदक संख्या 7 का 1/20 हिस्सा, अनावेदक संख्या 8 का 1/5 हिस्सा, अनावेदक संख्या 9 का 1/5 हिस्सा, अनावेदक संख्या 10 का 1/5 हिस्सा तथा अनावेदक संख्या 11 प्रबन्धक बैंक और अनावेदक संख्या 12 उप रजिस्ट्रार गुढ़ागौड़जी तथा अनावेदक संख्या 13 लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी है। दावा में वर्णित भूमि आवेदक व अनावेदक को बुजुर्गो से मिली हुई भूमि है। अनावेदकगण की नियत में खोट होने के कारण अनावेदक 1 लगायत 10 ने आवेदक के हिस्से से आयी भूमि पर निर्माण कार्य कर कब्जा करना शुरू कर दिया। क्योंकि आवेदक बाहुबली नहीं है। और न ही आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान व्यक्ति है जबकि अनावेदकगण संख्या बल में होने के कारण बाहुबली व आर्थिक रूप से सक्षक है जिसका आवेदक किसी भी भाव में मुकाबला नहीं कर सकता है। आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष का होने से अपूर्णीय क्षति भी आवेदक को ही कारित होती है। अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 414, 418, 949/413 जिसका रकबा क्रमशः 0.0400, 0.7700 व 1.1700 हैक्टेयर कुल किता 3 पर न तो स्वयं निर्माण करे और न ही बेचान करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। दावा में साथ प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को नोटिस जारी किये गये अनावेदकगण की ओर से जबाबदेही दी गई। मामले में बहस अन्तिम सुनी जाकर आवेदक का प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला नहीं मानकर खारिज कर दिया। दिनांक 12.06.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलान्ट के हिस्से की भूमि में निर्माण कार्य करने से मना किया तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 10 के द्वारा निर्माण कार्य बन्द नहीं करने की धमकी देने से रेस्पोडेन्टस को पाबन्द करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जिस पर न्यायालय ने गौर नहीं कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भारी कानून भूल की है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में यह फाईडिंग दी है कि पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त व रिकार्ड की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इसलिए खातेदारी घोषणा का निर्धारण मूलवाद के निस्तारण पर किया जायेगा तब विचारण न्यायालय वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में यह फाईडिंग दी है तो इससे स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ तथा ना ही खातेदारी घोषणा का भी निर्णय मूलवाद में करना आवश्यक समझा है तो ऐसी स्थिति में वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना पक्षकारों के लिए अति आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलान्टस का प्रथम दृष्टया मामला नहीं मानने में भारी कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने जब विवादित भूमि को संयुक्त खातेदारी भूमि होना माना है तो ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति बिन्दु आवेदक अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं करने में भारी कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रालवी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 414, 418 व 949/413 किता 3 कुल रकबा 1.98 हैक्टेयर भूमि बाबत विचारण न्यायालय में पूर्व से विचाराधीन वाद पत्र उनवानी हर्षाराम बनाम गणपत वगै. वास्ते साक्ष्य वादी में विचाराधीन है जिसके आवेदक मक्खन पुत्र छोटूराम प्रतिवादी नम्बर 28 के रूप में पक्षकार संयोजित है। इस वाद पत्र में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 358/16 पत्रावली में विचारण न्यायालय ने विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 10.04.2019 को अन्तिम निर्णय पारित किया था जिसमें अप्रार्थीगण को उक्त भूमि के उपयोग–उपभोग में दखलअंदाजी नहीं करने व मौके की यथास्थिति के लिए

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पाबन्द किया था। इस निर्णय को अपीलांट ने चुनौती नहीं दी है। इसके विपरित नये सिरे से आवेदन प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)